

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 3/2019

सरकार जयें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल



♠ बनाम ♠

रामप्रसाद पुत्र छीता लाल वगै० कोम कुम्हार निवासी बलवनखेडी तह० मांगरोल जिला बारां  
....अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएस)

दायरा दिनांक: 09.01.2019

निर्णय दिनांक : 10.01.2019

पटवारी हल्का सीमल्या, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जयें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि सेटलमेंट जमाबंदी सम्वतम 2044-63 में खाता नं० 16 पर रामप्रसाद पुत्र छीतालाल, छीता, मोहनी पत्नि छीतालाल कोम कुम्हार सा० देह के नाम खसरा नं० 118 रकबा 0.76 है०, खसरा नं० 121 रकबा 1.09 है०, खसरा नं० 118/353 रकबा 0.76 है०, खसरा नं० 118/354 रकबा 1.52 है० कुल किता 4 रकबा 4.13 है० भूमि दर्ज थी।

ग्राम बलवनखेडी में लिफ्ट नहर निकलने से खसरा नं० 118 रकबा 0.76 में से 0.42 है० में नहर नामा० सं० 32 से दर्ज हो रहा है तथा वर्तमान में खसरा नं० 118/391 रकबा 0.42 है० गै०मु० नहर सिचाई विभाग के खाते में दर्ज है। शेष रकबा 118 का 0.34 है० दर्ज है।

वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 92 पर रामप्रसाद पुत्र छीतालाल छीता मोहनी पुत्री छीतालाल के नाम खसरा नं० 118 रकबा 0.34 है०, खसरा नं० 118/353 रकबा 0.76 है०, खसरा नं० 118/354 रकबा 1.52 है०, खसरा नं० 121 रकबा 1.09 है० कुल किता 4 रकबा 4.13 है० भूमि दर्ज है।

मौका स्थिति अनुसार ग्राम बलवन खेडी में लिफ्ट नहर खसरा नं० 118/354 रकबा 1.52 है० में से 0.24 है० रकबे में तथा खसरा नं० 118/353 रकबा 0.76 है० में से 0.18 है० रकबे में नहर निकली हुयी है। तथा मूल खसरा नं० 118 में नहर नहीं निकली हुयी है।

अतः खसरा नं० 118/391 रकबा 0.42 है० गै० मु० नहर को वापिस पूर्व खातेदार रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल, छीता मोहनी पुत्री छीतालाल कोम कुम्हार के खाते दर्ज किया जाना है। तथा खसरा नं० 118/353 रकबा 0.76 है० में से 0.18 है० किस्म गै० मु० नहर तथा खसरा नं० 118/354 रकबा 1.52 है० में से 0.24 है० गै०मु० नहर दर्ज की जानी है। इस प्रकार नहर कम किये जाने से खसरा नं० 118/354 का

1.28 है0 व खसरा नं0 118/353 का रकबा 0.58 है0 दर्ज होगा। इस प्रकार नहर का रकबा खसरा नं0 118/354 में से 0.24 है0 व खसरा नं0 118/353 में से 0.18 है0 कुल  $0.24+0.18=0.42$  है0 रहेगा।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जयें लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 10.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलग्न दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2073-76 खाता संख्या 92 ग्राम बलवन्तखेडी 2. हाल नकल जमाबंदी 2073-76 खाता संख्या 146 ग्राम बलवन्तखेडी 3. नक्सा आराजी खसरा नं0 118/354, खसरा नं0 118/353 व खसरा नं0 118 ग्राम बलवन्तखेडी की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि पुरानी प्रविष्टि ग्राम "बलवन्तखेडी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 की जमाबंदी में खाता संख्या 92 पर रामप्रसाद पुत्र छीतालाल छीता मोहनी पुत्री छीतालाल के नाम खसरा नं0 118 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 118/353 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 118/354 रकबा 1.52 है0, खसरा नं0 121 रकबा 1.09 है0 कुल किता 4 रकबा 4.13 है कौम कुम्हार सा0 देह" को हजफ कर नवीन इन्द्राज " ग्राम बलवन्तखेडी की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 की आराजी खसरा नं0 118/391 रकबा 0.42 है0 गै0 मु0 नहर को वापिस पूर्व खातेदार रामप्रसाद पुत्र छीतरलाल, छीता मोहनी पुत्री छीतालाल कोम कुम्हार के खाते दर्ज किये जाने व खसरा नं0 118/353 रकबा 0.76 है0 में से 0.18 है0 किस्म गै0 मु0 नहर तथा खसरा नं0 118/354 रकबा 1.52 है0 में से 0.24 है0 गै0 मु0 नहर" दर्ज का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में